# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन 193 /2012

1. जोधाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामदेवा पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)
2. पटवारी पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।
3. उप पंजीयक महोदय जी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।
4. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)

—अप्रार्थी/अनावेदकगण

उपस्थितः—प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

## आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय दिंनाक :—01.08.2016

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है :—

1. यह है कि कृषि भूमि ख.न. 770 रकबा 0.70 है0,ख.नं. 891 रकबा 1.49 है0, ख.नं 892 रकबा 1.02 है0, ,ख.नं 893 रकबा 2.09 है0, ,ख.नं 895 रकबा 1.23 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर ग्राम जीवणपुरा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों पर आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के पिता स्व. फुसाराम काश्त करते थे तथा फुसाराम की मृत्यु के पश्चात् आवेदक व अनावेदक संख्या 1 समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्से पर काश्त करते हैं तथा अलग अलग सींव नींव कायम कर रखी है ।
2. उक्त भूमियों पर आज वर्तमान में भी मौके पर 1/2, 1/2 हिस्से में आवेदक व अनावेदक संख्या 1 ने काश्त कर रखी है है तथा काबिज हैं किन्तु अनावेदक संख्या 1 ने उक्त भूमियों में से हिस्सा 1/4 की भूमि को साजिश पूर्वक अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया है जबकि कि आवेदक व अनावेदक दोनों के नाम हिस्सा 1/8, 1/8 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी । जबकि अनावेदक ने आवेदक व अनावेदक के पिता की अज्ञानता का लाभ उठाकर अदला बदली में उक्त भूमियों में हिस्सा 1/4 की खातेदारी अपने दर्ज करवा ली इस प्रकार अवेदक को पिता से प्राप्त होने वाली उक्त भूमियों का हिस्सा अकेले अनावेदक के नाम दर्ज हो गया

Scanned by CamScanner

जिसका उस अकेले को अक अधिकार नहीं था । जिसे दुरुस्त किया जाकर उक्त आराजियात में आवेदक व अनावेदक को समान रुप से खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर उसी मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । आवेदक अपनी उक्त विवादित कृषि आराजियात पर काश्त कर रहा था तो अनावेक ने आवेदक को जा कर धमकी दी कि तुम इसमें काश्त क्यों कर रहें हो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं हैं। इस पर आवेदक एवं अनावेदकगण के बीच काफी हो हल्ला हुआ तो आसपास के व्यक्तियों के कहने से अनावेक मान गया। अगर अनावेदक अनुचित,अनाधिकृत,अवैध कार्यवाही में आवेदक के कब्जे काश्त खातेदारी से बेदखल कर देंगे तो आवेदक के अधिकारों का हनन होगा। आवेदक के विधिक अधिकारों एवं आर्थिक एवं साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/प्रार्थी का सुदृढ है, सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में होने के कारण अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही है, यदि अनावेदकगण आवेदक को उनके हिस्से की भूमि से गलत खातेदारी अंकन के आधार पर बेदखल करने,दखलंदाजी करने, या अन्य किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने में सफल हो गये तो आवेदक को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किया जाना किसी प्रकार भी संम्भव नहीं है, इसलिए अनावेदकगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

1 आवेदन दर्ज रजि0 किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 से 4 को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

2 हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/ आवेदक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा दोनो बिन्दुओं पर मनन करने के पश्चात कृषि भूमि ख.न. 770 रकबा 0.70 है0,ख.नं. 891 रकबा 1.49 है0, ख.नं 892 रकबा 1.02 है0, ,ख.नं 893 रकबा 2.09 है0, ,ख.नं 895 रकबा 1.23 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर ग्राम जीवणपुरा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों पर आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के पिता का कब्जा काश्त साबित है। **अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजियात** ख.न. 770 रकबा 0.70 है0,ख.नं. 891 रकबा 1.49 है0, ख.नं 892 रकबा 1.02 है0, ,ख.नं 893 रकबा 2.09 है0, ,ख.नं 895 रकबा 1.23 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर **ग्राम जीवणपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर आवेदन में सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी/आवेदक के पक्ष में बनती है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का आवेदन अं.धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थगन स्वीकार किया जाकर** अप्रार्थीगण/अनावेदकगण **को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात** ख.न. 770 रकबा 0.70 है0,ख.नं.

Scanned by CamScanner

891 रकबा 1.49 है0, ख.नं 892 रकबा 1.02 है0, ,ख.नं 893 रकबा 2.09 है0, ,ख.नं 895 रकबा 1.23 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 6.53 हैक्टेयर ग्राम जीवणपुरा पटवार मण्डल भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

यह आवेदन आज दिनांक 01.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड, अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner